बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

विज्ञापन सं० – 08/2020

राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर के टेन्योर पद पर नियुक्ति के लिए Counselling हेतु सूचना

(चिकित्सक कृपया ध्यान दें)

राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर के टेन्योर (तीन वर्षीय) पदों पर नियुक्ति हेतु सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली–2008 व संशोधित नियमावली 2013 के अन्तर्गत Counselling का आयोजन किया जा रहा है, जिसके निमित्त On-line आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

शैक्षणिक अर्हता

सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर के 40% पद बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के सदस्यों से, भरा जायेगा एवं 40% पद राज्य के चिकित्सा महाविधालयों से स्नातकोत्तर डिग्री पाठयक्रम (रेजिडेन्सी स्कीम के अन्तर्गत) पूरा किये हो तथा शेष 20% पद वैसे चिकित्सकों से भरा जायेगा जिन्होंने राज्य के बाहर के मान्यता प्राप्त संस्थानों से स्नातकोत्तर डिग्री (रेजिडेन्सी स्कीम) प्राप्त किया हो। सिनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर के पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता विषय–विशेष में स्नातकोत्तर उपाधि होगी।

भारतीय चिकित्सा परिषद् के शिक्षक पात्रता योग्यता के अनुरूप समकक्ष स्नातकोत्तर डिग्रीधारी भी चयन के पात्र होंगे।

सुयोग्य अभ्यर्थियों की कमी होने की स्थिति में ही सीनियर रेजिडेन्ट के पद के लिए विषय विशेष में डिप्लोमाधारी एवं ट्यूटर के पद के लिए एम0बी0बी0एस0 डिग्रीधारी अभ्यर्थी भी चयन के पात्र होंगे।

आयु सीमा

आवेदकों की अधिकतम आयु सीमा 01.08.2019 को, जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु निर्धारित है (यथा अनारक्षित (पुरूष) – 37 वर्ष, अनारक्षित (महिला), पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला) – 40 वर्ष, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला) – 42 वर्ष), परन्तु बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के सदस्यों के लिए इस उम्र सीमा में 5 (पाँच) वर्षों की छूट दी जायेगी।

आरक्षण

टेन्योर पद पर नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण के अनुसार पैनल तैयार किया जायेगा। आरक्षण श्रेणी के आवेदक सक्षम प्राधिकार से निर्गत जाति प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करेंगे। आरक्षण का लाभ केवल बिहार राज्य के मूल निवासी को क्रिमीलेयर रहित का प्रमाण पत्र समर्पित करने पर ही देय होगा। **क्रिमीलेयर का प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने पर वे अनारक्षित कोटि में माने जाएँगे।** महिला/दिव्यांग/स्वतंत्रता सेनानियों के नाती/नतिनी/पोता/पोती को नियमानुसार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित आरक्षण देय होगा।

counselling का कार्यक्रम

इसी परिप्रेक्ष्य में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों से राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के निम्नांकित विषयों में ट्यूटर/सीनियर रेजिडेन्ट के रिक्त टेन्योर (तीन वर्षीय) पदों पर निम्नलिखित विभागों में नियुक्ति हेतु पैनल तैयार करने के निमित्त Counselling का कार्यक्रम निम्नवत् है :–

counselling का कार्यक्रम

क्र0 सं0	विभाग का नाम एवं counselling की तिथि	क्र0सं0	विभाग का नाम एवं counselling की तिथि	क्र0सं0	विभाग का नाम एवं counselling की तिथि
counselling स्थल –आर0एस0बी0 ऑडिटोरियम, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना समय–10:00 बजे पूर्वाह्न से					
	03.08.2020		**07.08.2020**		**11.08.2020**
1.	पी0एस0एम0	6.	पैथोलॉजी	10.	रेडियोलॉजी
2.	एफ0एम0टी0		**08.08.2020**		**12.08.2020**
	04.08.2020	7.	फार्माकोलॉजी	11.	निश्चेतना
3.	एनाटॉमी		**10.08.2020**		**13.08.2020**
	05.08.2020	8.	टी0बी0 एण्ड चेस्ट	12.	मनोरोग
4.	बायोकेमिस्ट्री	9.	पी0एम0आर0	13.	चर्म एवं रति रोग
	06.08.2020				
5.	फिजियोलॉजी				

<u>टेन्योर पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित शर्ते</u> :–

1. 31.12.2018 तक की रिक्ति को इस पैनल से भरा जाएगा।
2. वैसे चिकित्सक शिक्षक, जिन्हें एक से अधिक विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त हैं, एवं उन विषयों के लिए आवेदक होते हैं, तो उन्हें विभागवार अलग–अलग आवेदन देना होगा तथा इसका उल्लेख On-line आवेदन में करना होगा। एक बार चयनित होने पर किसी भी परिस्थिति में दूसरे विषय में चयन नहीं किया जायेगा। जिन अभ्यर्थियों की डिग्री की मान्यता एम०सी०आई० से प्राप्त नहीं है उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. टेन्योर पद पर नियुक्ति के उपरांत चिकित्सक शिक्षकों को वेतनमान लेवेल–09 एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में पूर्व से कार्यरत चिकित्सक जो वेतन प्राप्त कर रहे हैं, वही वेतन महंगाई भत्ता एवं अन्य अनुमान्य भत्ते के साथ देय होंगे।
4. जो चिकित्सक सरकारी सेवा में है, उन्हें आवेदन पत्र के साथ नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. (i) आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में On-line स्वीकार किये जायेंगे तथा निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। इसके लिए विभागीय **वेबसाईट** *www.health.bih.nic.in* के Recruitment Section पर जाकर दिनांक–20.07.2020 के पूर्वाह्न 10.00 बजे से दिनांक–31.07.2020 के मध्यरात्रि 11.59 बजे तक Upload किया जा सकता है। आवेदक Website पर दिए गए निर्देशों के अनुसार ID generate करने के उपरांत Form पूरी तरह भरकर Submit करेंगे।

   (ii) आवेदक On-line आवेदन समर्पित करने के पश्चात् आवेदन का E-Mail/Form Print out के साथ सभी प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति के साथ एवं उपर्युक्त कंडिका–6 के अंतर्गत आवश्यकतानुसार अग्रसारण counselling के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

   (iii) अभ्यर्थियों की तुलनात्मक मेधा के निर्धारणार्थ अंकों का निम्नरूपेण मूल्यांकन आवंटित किया जाएगा–

   (क) तीन एम०बी०बी०एस० विश्वविद्यालय परीक्षाओं में प्राप्तांक का कुल योग–

70 प्रतिशत से उपर	65 प्रतिशत से उपर	60 प्रतिशत से उपर	55 प्रतिशत से उपर	50 प्रतिशत से उपर
5	4	3	2	1

<u>नोट:–</u> एक या अधिक एम०बी०बी०एस० परीक्षाओं में अनुत्तीर्णता के मामलें, खास एम०बी०बी०एस० परीक्षा में प्राप्तांक के कुल योग की गणना, संबंधित विषय में अनुत्तीर्णता एवं उत्तीर्णता अंकों का मध्यमान निकाल कर की जाएगी।

(ख) भारतीय चिकित्सा परिषद् की अनुशंसा के अनुसार स्पेशियलिटी विषय या विषय–समूह में प्राप्तांक –

70 प्रतिशत से उपर	65 प्रतिशत से उपर	60 प्रतिशत से उपर	55 प्रतिशत से उपर	50 प्रतिशत से उपर
5	4	3	2	1

नोटः– आवेदित स्पेशियलिटी विषय या विषय–समूह में किसी अनुत्तीर्णता के मामले में अनुत्तीर्णता एवं उत्तीर्णता अंकों का मध्यमान निकाल कर की जाएगी।

(ग) स्पेशियलिटी में एम०डी०/एम०एस० – 10 अंक

(घ) उसी स्पेशियलिटी में पी०एच०डी०, डी०एम०,एम०सी०एच० – 10 अंक

(ङ०) बिहार राज्य के अन्तर्गत सरकारी/अर्द्धसरकारी क्षेत्र – 10 अंक
में चिकित्सा शिक्षा का कार्यानुभव (प्रति पूर्ण वर्ष 2 अंक, अधिकतम 10 अंक)

नोटः– सरकारी क्षेत्र में नियमित/संविदागत् कार्यानुभव ही मान्य होंगे। किसी भी प्रकार के शैक्षणिक पाठ्यक्रम/फेलोशिप/प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का कार्यानुभव में गणना नहीं की जाएगी।

(च) किसी अन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय से समान डिग्री के दुहराव के लिए कोई अतिरिक्त अंक नहीं दिया जाएगा। ऐसे एम०आर०सी०पी०, एफ०आर०सी०एस० आदि जो 11.11.1978 एवं उसके बाद प्राप्त किये गए हैं, के लिए कोई अंक आवंटित नहीं किया जाएगा।

(iv) विश्वविद्यालय एम०बी०बी०एस० परीक्षाओं में प्रत्येक अनुत्तीर्णता के लिए 01(एक) अंक घटाया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जो तीन से अधिक अवसरों पर इन परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण हुए हों वे पात्र नहीं होंगे।

(v) नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हतांक 16 (सोलह) होगा।

(vi) यदि किसी विषय या विभाग में एक या दो ही रिक्तियाँ उपलब्ध हो तो ऐसी स्थिति में BHS/PGS/PGO में से अधिकतम अंक पानेवाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।

(vii) जिन चिकित्सकों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही लंबित हो, अथवा फौजदारी मुकदमा दायर हो, अथवा जो निलंबित हों अथवा लम्बे अवकाश में हों, उनके मामले पर विचार नहीं किया जायेगा। तत्संबंधी शपथ पत्र मूल रूप में Print out आवेदन के साथ संलग्न किए जाएं।

(viii) ट्यूटर/सिनियर रेजिडेन्ट के पद पर पूर्व में नियुक्त/एवं कार्यरत चिकित्सक पुनः आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। प्रत्येक आवेदक को शपथ–पत्र मूल रूप में साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना होगा की वे पूर्व में आवेदित विषय में M.C.I से मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल/संस्थान से सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर (तीन वर्षीय) के रूप में कार्य नहीं किया है। शपथ पत्र नहीं दिये जाने की स्थिति में आवेदक की पात्रता रद्द कर दी जायेगी।

7. चयनोपरांत पदस्थापन संबंधी विभाग का निर्णय अंतिम होगा। अभ्यर्थियों द्वारा पदस्थापन संबंधी कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

8. **काउंसलिंग** हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

9. **पूर्व में सीनियर रेजिडेन्सी कर चुके अथवा वर्त्तमान में सीनियर रेजिडेन्सी कर रहे चिकित्सक आवेदन के पात्र नहीं होंगे।**

14/01/2020

(विवेकानन्द ठाकुर)
सरकार के अवर सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार